



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Govt. Undertaking)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या:- 2075 / जी०सी०ए०ओ०छः/17ए/2015

दिनांक:- 04 सितम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

उपरो लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-3(7) तथा उपरो सरकारी सेवक वरिष्ठता (तृतीय संशोधन) अधिनियम-2007 द्वारा निविष्ट नियम-8(क) को मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 में **ultra vires** घोषित किये जाने के फलस्वरूप, उपरो शासन के आदेश संख्या-8/ 4/1/2002 टी०सी०-1-का-2015, दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत कारपोरेशन आदेश सं०-60-विनियम एवं काविनी/पाकालि, दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत, निम्नांकित स्तम्भ-2 में उल्लिखित अनुसूचित जाति/ जनजाति के कार्मिकों को आरक्षण की धारा-3(7) का लाभ प्रदान कर स्तम्भ-3 में उल्लिखित पद पर की गयी प्रोन्नति को निरस्त किया जाता है। तत्क्रम में उनके पोषक संवर्ग की एकल ज्येष्ठता सूची के आधार पर उनका लेखाकार के पद पर विचारित चयन लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के कारण मोहर बंद लिफाफे में सुरक्षित होने के दृष्टिगत उन्हें स्तम्भ-4 में उल्लिखित पद पर भूतलक्षीय प्रभाव से पदावनत करते हुए एतद्वारा स्तम्भ-5 के अनुसार तैनात किया जाता है :-

क्रम सं०	नाम/पिता का नाम/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि/वर्तमान तैनाती स्थल	दिनांक 15.11.1997 के उपरान्त धारा 3(7) के माध्यम से प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम एवं तिथि	स्तम्भ-3 में प्रदान की गयी प्रोन्नति के निरस्तीकरण के उपरान्त धारित पद का नाम	नव तैनाती स्थल
1	2	3	4	5
1	श्री सुशील कुमार पुत्र श्री राजाराम/सीतापुर/ 31.12.2022/विद्युत पारेषण खण्ड, शाहजहांपुर	लेखाकार- 06.02.98	सहायक लेखाकार	परि०ले०का० (पारेषण मध्य), लखनऊ

नियन्त्रक अधिकारी अपने अधीनस्थ तैनात कार्मिक को उनके वर्तमान पद से तत्काल अवमुक्त कर, उन्हें स्तम्भ-5 में उल्लिखित नव तैनाती स्थल पर स्तम्भ-4 पर उल्लिखित पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें एवं मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित अवमानना याचिका संख्या-414/2015 में दिनांक 20.08.2015 को दिये गये निर्देश के अनुपालन में यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त कार्मिकों को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जायगा।

उक्त के अतिरिक्त उ०प्र० शासन के आदेश सं०-८/४/१/२००२टी०सी०-१-का-२०१५, दिनांक २१.०८.२०१५ के अनुक्रम में निर्गत कारपोरेशन आदेश सं०-६०-विनियम एवं काविनी/पाकालि, दिनांक २१.०८.२०१५ में निहित प्राविधानों के अनुरूप उपरोक्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत सभी संगत आदेश तदनुसार इस सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।

उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)

संख्या :- २०७५ / जी०सी०ए०ओ०छः / १७ए / २०१५ तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. मा० ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
२. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
३. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, केस्को, कानपुर।
४. निदेशक (का०प्र०एवं प्रशा०), के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
५. निदेशक (वित्त), के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
६. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
७. महाप्रबन्धक (सम्प्रेक्षा एवं लेखा प्रशासन)/(वित्त), उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
८. उप महाप्रबन्धक (कारपोरेट टैक्स/सम्प्रेक्षा), उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
९. उप महाप्रबन्धक (सम्प्रेक्षा एवं लेखा), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
१०. उप महाप्रबन्धक, परि०ले०का० (सामग्री प्रबन्ध), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
११. सचिव, उ०प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लायज ट्रस्ट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
१२. उप मुख्य लेखाधिकारी (वित्त/कारपोरेट टैक्स/कारपोरेट लेखा/सम्प्रेक्षा), उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
१३. उप मुख्य लेखाधिकारी (आंचलिक लेखा कार्यालय), पारेषण पूर्व/पारेषण मध्य/पारेषण पश्चिम/पारेषण दक्षिण, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० इलाहाबाद/लखनऊ/मेरठ/आगरा।
१४. उप मुख्य लेखाधिकारी, केस्को, कानपुर।
१५. उप मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय वित्त एवं भुगतान इकाई, पारेषण मुख्यालय, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
१६. अनु सचिव (स०प्र०लेखा), उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
१७. वरिष्ठ लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)/(मुख्यालय भुगतान)/(केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ)/(वित्त)/(पेंशन), उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
१८. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी।
१९. सहायक लेखाधिकारी (प्रशासन-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
२०. अधिशासी अभियन्ता, वेब साइट, कक्ष संख्या-४०७, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
२१. सम्बन्धित व्यक्ति/वैयक्तिक पत्रावली।
२२. अधिष्ठान सहायक/कट फाइल

(ए.के. तिवारी)

वरिष्ठ लेखाधिकारी (प्रशासन)